Conduct of Elections Rules, 1961

(Statutory Rules and Order)

FORM 21 C

(See Rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the People Act, 1951

Election to the Legislative Assembly of **RAJASTHAN** from the **136-BAYTOO** Assembly Constituency

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that –

SHRI HARISH CHOUDHARY

LADHANIYON KI DHANI, BAYTU PANJEE, TH.-BAYTU, DISTRICT-BARMER Sponsered by INDIAN NATIONAL CONGRESS has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place :- Barmer

Date :- 11.12.2018

(SUBHASH YADAV)

RETURNING OFFICER

136-BAYTOO ASSEMBLY CONSTITUENCY
(SUB DIVISIONAL OFFICER AND SUB DIVISIONAL

MAGISTRATE)BAYTOO (सुभाष यादव)

रिटर्निग ऑफिसर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, 136-बायतू ﴿ उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बायत्)

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(कानूनी नियम और आदेश)

प्ररूप 21ग

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा ।

136-बायतू विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से राजस्थान की विधानसभा के लिए निर्वाचन।

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूं कि -

श्री हरीश चौधरी लाधाणियों की ढाणी, बायतु पनजी, तहसील- बायतु, जिला- बाड़मेर

जो इंडियन नेशनल काँग्रेस द्वारा खडे किए गए ।

उपर्युक्त निर्वाचन क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थान : बाडमेर

दिनांक : 11.12.2018

रिटर्निंग ऑफिसर

136-बायतू विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र (उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट)बायतू

> (सुभाष यादव) रिटर्निंग ऑफिसर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, 136-बायत्

> (उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट,बायतू)